तारीख क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रूगनाथधाम बनाम भवरलाल वगैरा धारा 136 प्रकरण सख्या 70/2009	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3.01.2023	प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया जिसमे प्रार्थी ने खसरा नम्बर 448 रकबा 66 बीधा 02 बिस्वा खसरा नम्बर 479 रकबा 2 बिस्वा एव खसरा नम्बर 480 रकबा 1 बिस्वा कुल खसरा 3 कुल रकबा 66 बीधा 5 बिस्वा ग्राम धुन्धाडा की भूमि प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि बताया। जो भूमि पैत्रक होने का कथन किया तथा सजरा खानदान के अनुसार हिस्सा होने का कथन किया। उक्त भूमि मे प्रार्थी सख्या 01 का 1/8 हिस्सा एव प्रार्थी सख्या 2 का 1/8 हिस्सा होने का कथन किया। उक्त भूमि का संवत 2030 के बाद प्रार्थीगण का नाम इन्द्राज नही किया तथा बिना कारण हट गया तथा अप्रार्थी सख्या 1 से 6 के 1/8 के स्थान पर 2/8 दर्ज कर दिया प्रार्थीगण ने भूमि का कोई बेचान नही किया तथा उक्त त्रुटिवश एव भूलवश होने का कथन कर इस्तदुआ चाही की उक्त भूमि मे प्रार्थी सख्या 1 का 1/8 हिस्सा दर्ज किया जाने तथा प्रार्थी सख्या 2 का 1/8 हिस्सा दर्ज कर रेकर्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थी पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया। अप्रार्थी सख्या 1 से 9 की ओर से जबाव प्रस्तुत किया एव प्रार्थीगण ने कथनो का खण्डन कर विवादग्रस्त भूमि अप्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि बताया तथा प्रार्थी का कोई हक हिस्सा न होना तथा कब्जा न होने का कथन किया तथा उक्त भूमि मे से प्रार्थीगण नें भूमि गिरधारी पुत्र खेता को बेचान कर देने का कथन किया ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र मेनेटेबल न होने का कथन किया । उक्त प्रकरण मे तहसीलदार लूणी से रिपोर्ट तलब की जिस पर तहसीलदार लूणी ने अपने पत्रांक/भू.अ/2022/4117 दिनाक 15.12.2022 के द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश की गई जो सलग्न पत्रावली है। प्रकरण मे बहस अधिवक्ता की सूनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा विवादग्रस्त भूमि मे अपना 1/8–1/8 हिस्सा होने का कथन किया तथा बिना किसी कारण उनका नाम हटा दिया गया तथा उक्त त्रुटि सहवन एव लिपीकीय त्रुटि होने का कथन कर धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम के तहत पुन हिस्सा दर्ज करने का निवेदन किया जबकि अप्रार्थी द्वारा अपने जबाव मे भूमि को क्रय करने का कथन किया इस कारण प्रार्थना पत्र उक्त धारा कि परिधि मे न आने के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया। तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसमे वर्तमान रिकार्ड की स्थिति का हवाला दिया तथा म्यूटेशन सख्या 214 के आधार पर उदा, गोमा पुत्र खीया द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा 2/8 गिरधारी पुत्र खेताराम को बेचान कर देने के आधार पर राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज किया गया । नामान्तरकरण सख्या 214 की प्रति सलग्न है जिसने भूमि का बेचान का हवाला है इन तमाम परिस्थितियो मे यह स्थिति स्पष्ट है कि राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज नामान्तरकरण सख्या 214 के द्वारा किया गया जिसके आधार पर आज दिनांक तक राजस्व रेकर्ड मे संधारित हो रहा है तथा नामान्तरकरण सख्या 214 आज दिन प्रभावी है ऐसी स्थिति मे उक्त म्यूटेशन के आधार पर प्रतिवादी किसी भी रूप मे लिपीकीय त्रुटि यह सहवन मे की त्रुटि नही मानी जा सकती है। तथा कानूनी तौर पर भी धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का क्षेत्र सिमित है इन परिस्थितियो मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाने योग्य है । अतः–प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	

Scanned by CamScanner